



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM &
COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

अधिसूचना

दिनांक 22-06-12

बी.बी.ए. (एडवर्टाईजिंग एण्ड पब्लिक रिलेशन) एवं बी.बी.ए. (मास कम्यूनिकेशन) पाठ्यक्रमों के लिए संरचना एवं अन्य नियम विश्वविद्यालय ASSOCIATION OF STUDY INSTITUTES REGULATION, 2008 REGULATION NO 18 के संदर्भ में लागू किए जाते हैं।

1. बी.बी.ए. पाठ्यक्रम तीन वर्षों का है, जिसके लिये 30 स्थान प्रति पाठ्यक्रम निर्धारित है।
2. इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये विद्यार्थी की न्यूनतम अर्हता किसी भी संकाय में 10+2 उत्तीर्ण होगी।
3. रेग्यूलेशन क्र. 18/2008 के बिन्दु क्र. 10.3 में निर्धारित कार्पेट एरिया के अतिरिक्त प्रत्येक बी.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु 1200 वर्ग फीट एरिया की आवश्यकता होगी। (400 वर्ग फीट की 3 कक्षाएँ)।
4. रेग्यूलेशन क्र. 18/2008 के अतिरिक्त 5 और कम्यूटरों की आवश्यकता होगी।
5. प्रत्येक बी.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु रेग्यूलेशन क्र. 18/2008 के बिन्दु क्र. 10.3 में निर्धारित किताबों की संख्या के अतिरिक्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्षों में क्रमशः 100, 200, 300 संबंधित विषय की किताबें पुस्तकालय हेतु अनिवार्य होंगी।
6. लेब उपकरणों में बी.बी.ए. पाठ्यक्रम हेतु रेग्यूलेशन क्र. 18/2008 के संशोधित अधिसूचना क्र. Regn/5227 दिनांक 24/11/2008 के बिन्दु क्र. 10.3 (i, ii, iii) के अलावा (iv) में उल्लेखित Professional Video Camera Tripods, Arid/Final cut pro/ Matrix non linear editing work station भी अनिवार्य होगा। (iii) में उल्लेखित Colour TV DTH के साथ अनिवार्य होगा।
7. अन्य सभी अनिवार्यताएँ रेग्यूलेशन 18/2008 अनुसार होगी।

आदेशानुसार

निदेशक (ए.एस.आई.)
22-06-12